न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तिगारिया बनाम दामोदर S/O मुरारी नाई - बमनपुरा

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक :- 26/X/17

प्रकरण सँख्या :- 52/2017

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बमनपुरा की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 1-57 किस्म जमीन गैरमु० तलाई में से 0-01 रकबे पर श्री दामोदर S/O मुरारी नाई ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पुड़ा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का .... द्वारा दिनांक 29/9/17 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. बड़ौदाकान के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी दामोदर S/O मुरारी नाई निवासी बमनपुरा को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी दामोदर उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 161 रकबा 1-57 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमु० तलाई है जो नियमन योग्य नहीं है लिहाजा तौरमारल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिए जाते हैं एवं दण्ड स्वरुप लगान ₹.06 Paise का 50 गुणा 3/- (Three Rs) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तिगारिया भू.अ.निरी. बड़ौदाकान को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज०)

... 142 ... 11
... 2017-18 ... 3/-
की कायमी की गई

तहसील ...
...